कंप्यूटर अनुभाग - न्यायालय को ईमेल एवं CIS पर अपलोड हेतु

न्यायालय—मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल,म0प्र0

क्रमांक 145 / स्टेनो / 2025 भोपाल, दिनांक 22 / 04 / 25

(संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश)

मैं अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक क्र. 127 / 2024 दिनॉक 15 / 04 / 2024 एवं संशोधित विविध कार्यविभाजन पत्रक क्रमांक—132 / 2025 भोपाल दिनांकित 12.04.2025 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूं:—

1. कार्यविभाजन पत्रक आदेश के सरल क्र. 03 के स्तम्भ क्र. 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र **"क्र. 08 अरेरा हिल्स क्र. 09 गांधीनगर"** को विलोपित किया जाता है।
2. कार्यविभाजन पत्रक आदेश के सरल क्र. 04 के स्तम्भ क्र. 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र **"क्र. 08 स्टेशन बजरिया क्र. 09 कमला नगर"** को विलोपित किया जाता है।
3. कार्यविभाजन पत्रक आदेश के सरल क्र. 09 के स्तम्भ क्र. 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र **"क्र. 09 एम.पी. नगर क्र. 10 हनुमानगंज"** को विलोपित किया जाता है।
4. संशोधित विविध कार्यविभाजन आदेश(क्र. 132 / 25) के सरल क्र. 01(श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के स्तम्भ क्र. 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र क्र. 02 के बाद नवीन आरक्षी केन्द्र क्र. **"03 कटारा हिल्स"** जोड़ा जाता है।
5. संशोधित विविध कार्यविभाजन आदेश(क्र. 132 / 25) के सरल क्र. 08 (श्रीमती अंजली सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) के स्तम्भ क्र. 03 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र **"01 कटारा हिल्स"** को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर नवीन आरक्षी केन्द्र **01 अरेरा हिल्स,02 गांधीनगर,03 स्टेशन बजरिया, 04 कमला नगर 05 एम.पी. नगर, 06 हनुमानगंज** से उद्भूत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण"प्रतिस्थापित किये जाते है। एवं स्तम्भ क्रमांक 04 में उल्लेखित सरल क्र. 01 एवं सरल क्रमांक 02 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

शेष संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश पूर्वानुसार ही प्रभावशील रहेगा।

22.4.25

(अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोपाल,म0प्र0

अनुमोदित
22/4

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)

पृ0क 146 /स्टेनो/2025 भोपाल,दिनांक 22.04.25

<u>प्रतिलिपि</u> :——

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2. समस्त अति0मुख्य न्यायिक मजि0 भोपाल

3 समस्त न्यायिक मजि0प्रथम श्रेणी,भोपाल

4 रीडर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22.4.25

(अग्नीन्द्र कुमार द्विवेदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भोपाल(म0प्र0)